

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :शिविरा/भा./पीएसपी-सी/अ-2/60567/केमाशिबो/2018-19 दिनांक : 18-09-18

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केंद्र-2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार, दिल्ली-1100092

विषय :- सत्र : 2018-19 हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक प.14(8)शिक्षा-1/2009 पार्ट-6 जयपुर दिनांक 06.09.2018 की पालना में निम्नांकित 07 गैर सरकारी विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निर्माई जावेगी। ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है। चित्त के परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी :-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता (CBSE /CISCE)	NOC देने का सत्र	माध्यम
1	सेण्ट एसलमस स्कूल टोंक	CBSE	2018-19	अंग्रेजी
2	स्मार्ट इण्टरनेशनल स्कूल कालाखेड़ी खारा, नाथद्वारा, राजसमन्द	CBSE	2018-19	अंग्रेजी
3	स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल भवानीमण्डी झालावाड़	CBSE	2018-19	अंग्रेजी
4	सत्य इण्टरनेशनल स्कूल बॉसवाड़ा रोड, प्रतापगढ़	CBSE	2018-19	अंग्रेजी
5	द मिलेनियम स्कूल 200फिट बाइपास, जगदीशपुरी, अजमेर रोड, जयपुर	CBSE	2018-19	अंग्रेजी
6	जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल अमेक्स पैरानोरमा सिटी के पास, शाहपुर, अलवर बायपास, निवाड़ी, अलवर	CBSE	2018-19	अंग्रेजी

7.	सैकमुड इण्टरनेशनल स्कूल चित्रकूट नगर, उदयपुर	CBSE	2018-19	अंग्रेजी
----	--	------	---------	----------


Note:- The section and its records shall be opened for inspection by an officer/official of the board or an authorized representative of the Board/state educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the board/state Government from time to time.

(नयमल डिपेंड)
अर्जुन राव

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राज० सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, राज० सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज० सरकार, जयपुर।
4. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज० सरकार, जयपुर।
5. उपशासन सचिव-प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय).....
10. संबंधित विद्यालय.....


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर